

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची।

आदेश

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड के अधीन झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 1935 के तहत निबंधित लैम्पस/पैक्स में वित्तीय सहायता/योजनाओं का लाभ देने हेतु वर्गीकरण करने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नरूपेण होगा :-

क्र.	मापदण्ड	कुल अंक	प्राप्तांक का विवरणी
1	2	3	4
1	वार्षिक लाभ	15	लाभ की स्थिति में - 10 अंक
			लाभ 20% तक रहने पर - 11 अंक
			लाभ 20-40% तक रहने पर - 12 अंक
			लाभ 40-60% तक रहने पर - 13 अंक
			लाभ 60-80% तक रहने पर - 14 अंक
			लाभ 80-100% तक रहने पर - 15 अंक
2	व्यवसाय	20	जमावृद्धि/बीज/उर्वरक व्यवसाय/धान अधिप्राप्ति-20 अंक
			जमावृद्धि 25 लाख रू० से उपर- 15 अंक
			उर्वरक, बीज व्यवसाय - 10 अंक
			धान अधिप्राप्ति/जन वितरण की दुकान - 05 अंक
3	वार्षिक आम सभा	05	वर्ष में कम से कम एक बार आम सभा -05 अंक
4	प्रबंध समिति की बैठक	05	साल में 04 बार - 01 अंक
			साल में 08-10 बार - 02 अंक
			साल में 10 से अधिक बार - 05 अंक
5	निर्वाचन	05	निर्वाचित प्रबंध कारिणी - 05 अंक
6	सदस्यता वृद्धि	05	क्षेत्र के 50% से अधिक परिवारों को सदस्यता से आच्छादित करने पर - 05 अंक
			क्षेत्र के 50% से कम परिवारों को सदस्यता से आच्छादित करने पर - 02 अंक
7	अभिलेख संधारण	05	सभी मुख्य अभिलेख संधारित एवं अद्यतन -05 अंक
8	अंकेक्षण	15	गत वित्तीय वर्ष तक - 10 अंक
			गत वित्तीय वर्ष के पूर्व तक अंकेक्षित - 08 अंक
			अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुपालन-05 अंक
9	आधारभूत संरचना निर्माण एवं रखरखाव	10	लैम्पस/पैक्स में निर्मित आधारभूत संरचना यथा गोदाम/कार्यालय भवन निर्माण/कम्प्यूटरीकरण/कृषि उपकरण/तेल मील/चावल मील/कोल्ड रूम/वर्मी कम्पोस्ट निर्माण रखरखाव एवं सफल संचालन -10 अंक
10	विभागीय योजनाओं एवं अन्तर विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में रूचि	05	विभागीय योजनाओं यथा- झारखण्ड फसल राहत योजना, धान अधिप्राप्ति, कृषक गोष्ठी, उर्वरक बीज वितरण एवं कृषि तथा संबद्ध प्रभाग की योजनाओं के प्रचार प्रसार -05 अंक
11	लैम्पस/पैक्स/बैंक वितरित ऋण वसूली	05	40% से उपर- 05 अंक
			40% से नीचे- 02 अंक
12	लैम्पस/पैक्स कार्यालय का नियमित रूप से खुलना	05	05 अंक

:- कोरोना संक्रमण से बचें, हमेशा सावधान रहें। सही से मास्क पहने, हाथ धोएँ बार-बार, निभाएँ दो गज की दूरी :-

विभाग द्वारा लैम्पस/पैक्सों को यदि आधारभूत संरचना मद में सहायता नहीं मिला हो तो संबंधित अंक हटा कर शेष कुल अंक पर प्रतिशत निकाला जायेगा।

उपर्युक्त प्राप्तांक के आधार पर लैम्पस/पैक्स का वर्गीकरण निम्नरूपेण किया जायेगा :-

क्र.	प्राप्तांक	वर्गीकरण	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	75 से अधिक	A	
2	50 से अधिक - 75 तक	B	
3	25 से अधिक - 50 तक	C	
4	0-25 तक	D	



निबंधक,

सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 1289 / राँची,
6/सह0लै0/पै0प्रति0-53/2021

दिनांक 13.08.2021

प्रतिलिपि - सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड/सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने जिला के लैम्पस/पैक्स का उपर्युक्त निर्धारित अंक तालिका के आधार पर एक सप्ताह के अन्दर वर्गीकरण कर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।


निबंधक,

सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 1289 / राँची,
6/सह0लै0/पै0प्रति0-53/2021

दिनांक 13.08.2021

प्रतिलिपि - सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निबंधक,

सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 1289 / राँची,
6/सह0लै0/पै0प्रति0-53/2021

दिनांक 13.08.2021

प्रतिलिपि - सरकार के सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


निबंधक,

सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची।